

**NGT/CZB/2021/  
National Green Tribunal  
Central Zonal Bench,  
III<sup>rd</sup> Floor, State Information Commission Building  
Arera Hills, Bhopal – 462011**

The following public complaints received from different persons /organisations during the month of February, 2022 are found to be not in conformity with NGT (Practice and Proceedings) Rule, 2011 framed under NGT Act, 2010. Hence, in light of Circular/Order No. NGT(PB)/Judicial-II/196/70 dated 03.02.2016 no judicial proceeding can be initiated in respect of such public complaints. These Complainants/Applicant/Aggrieved persons are at liberty to file Petition/Application in prescribed format, along with prescribed court fees for initiation of judicial proceeding. The complainants have been informed accordingly. The above referred Act, Rules and the User Manual for e-filing is also available on the website of NGT (<https://greentribunal.gov.in/>).

In case any further clarification is required, with regard to filing, assistance may be sought from the Help Desk of Filing Section of “National Green Tribunal, Central Zone Bench, Bhopal” at 0755-2579745 during the working hours (9:30 to 5:00PM).

Sr. No.	Inward Diary No.	Date	Name and Address	Subject
1.	-	12.03.22	सिद्धांत दासेन, रायपुर, छत्तीसगढ़ – ई-मेल दिनांक 12.03.2022	Pollution by JSW.
2.	114	28.02.22	धुरजी पता-501, हरीजन मोहल्ला, निसरपुर, तह. कुशी, जिला- धार म.प्र.	एन.व्ही.डी.ए. द्वारा आपकी गाईड लाईन का खुला उलंघन करने के संबंध में।
3.	130	11.03.22	लक्ष्मी शर्मा – वार्ड क्र.14, तहसील व पोस्ट अभनपुर जिला- रायपुर म.प्र.	छत्तीसगढ़ राजय में प्रतिबंधित सिंगल यूज पलॉस्टिक को बाध्यता मुक्त संबंधित गलत जानकारी की शिकायत के क्रम में एवं प्रचार-प्रचार के संसाधन का उचित प्रयोग कर व्यापारी एवं आम जनों तक सही व संपूर्ण जानकारी उपलब्ध हो अनुरोध के क्रम में।
4.	131	10.03.22	सौरभ देव पाण्डेय, 180/40, थाना रोड, जिला सिंगरौली म.प्र.	पर्यावरण संरक्षण विषयक।
5.	144	21.03.22	विनीत प्रार्थी	कान्हा नदी (खान नदी) के संबंध में दिये गये निर्देशों, आदेशों का उल्लंघन करते हुए छत्रीबाग, इन्दौर शासकीय भूमि जो कि छत्रीबाग रामद्वारा के ठीक सामने पाढ़िया माता का मंदिर से लगी हुई कान्हा नदी के बिल्कुल किनारे पर अतिक्रमण पर हो रहे पक्के नवीन निर्माण के संबंध में और उक्त निर्माण को रोके जाने, हटाने बावत्।
6.	145	21.03.22	हरीश सोलंगी, ई-मेल दिनांक 21.03.2022	Industry water pollution in Burhanpur, M.P. जंगल काट के बायलर में जला रहे हैं।
7.	152	23.03.22	वसीम खान, चांदनी चौक तिरोड़ी म.प्र.	लिमिटेड तिरोड़ी खान में हो रही हेवी ब्लासिटिंग का सच।
8.	153	23.03.22	ग्रामासी गाम बूचारा, जोगी की ढाणी पावटा कोटपूतली, जयपुर राजस्थान	अवैध खनन करकर खानों द्वारा गलत खन्ना जारी करने वालों की तुरन्त जांच कर केन्सिल

Sr. No.	Inward Diary No.	Date	Name and Address	Subject
				करवाने बावत्।
9.	164	30.03.22	मकतुम मियां पिता मोहीद मिया, निवासी- शाह मंसुर बाबा की दरगाह के पास म.नं.15/9 वार्ड नं.13 खौराती बाज़ार तह. व जि. बुरहानपुर म.प्र.	अनावेदक की टेक्सटाइल मिल्स का गंदा केमीकल युक्त ज़हरीला पानी आवेदक व अन्य किसानों की खेती में छोड़े जाने बावत्।
10.	175	31.03.22	शेख निजामउद्दीन (गुड़डू दौराना) भा. जा.पा. राधौगढ़ मंडल उपाध्यक्ष, ग्राम व पोस्ट दौराना, तह. राधौगढ़, जिला गुना (म.प्र.)	म.प्र. के गुना जिले के आरोन तहसील के ग्राम सांकरा, लट्या के वन विभाग के कम्पाटमेट न. 155 में हजारों पेड़ काटकर कुआं खोदने और खेती की ज़मान बनाने एवं डोर की वन विभाग की ज़मीन पर गेंहू की पैदावार करने बावत्।

  
( Mukesh Kumar )

Registrar

National Green Tribunal,  
Central Zonal Bench, Bhopal